भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
रक्षा जैवरक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान (डीआईबीटी)
सिद्धार्थनगर, मैसूर - 570011

विज्ञापन सं. DIBT/HRD/APPR/2026-27 **दिनांक: 04.08.2026**

स्नातक प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के लिए आवेदन
(शिक्षुता अधिनियम 1961 के अंतर्गत, 1973, 2014, 2025 में संशोधित)

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में रक्षा जैवरक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान (डीआईबीटी), मैसूर वर्ष 2026-27 के लिए योग्य उम्मीदवारों से स्नातक प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित करता है, जो नीचे दिए गए विवरण के अनुसार है:

क्र. सं.	प्रशिक्षु प्रशिक्षण की श्रेणी	आवश्यक योग्यताएं	विषय	रिक्तियों की संख्या	मासिक छात्रवृत्ति (रुपये)
1.	स्नातक प्रशिक्षु	बी.एससी. पूर्णकालिक (नियमित) पाठ्यक्रम प्रथम श्रेणी के साथ मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय/संस्थान से	सूक्ष्म जीव विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री, जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान, पॉलीमर विज्ञान	06	रु. 12,300/-
2.		बीई/बी. टेक पूर्णकालिक (नियमित) पाठ्यक्रम प्रथम श्रेणी के साथ मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय/संस्थान से			

पात्रता मानदंड:

1. उम्मीदवारों को http://nats.education.gov.in पर अपना नाम पंजीकृत कराना होगा। गैर-पंजीकृत उम्मीदवारों को अस्वीकार किए जाने की संभावना है।
2. जिन उम्मीदवारों ने वर्ष 2022, 2023, 2024, 2025 और 2026 में अपनी बीएससी/बीई/बीटेक की डिग्री पास की है, वे आवेदन करने के लिए पात्र हैं। जो उम्मीदवार 2022 से पहले अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, वे पात्र नहीं हैं।
3. केवल वे उम्मीदवार ही आवेदन करने के पात्र हैं जिन्होंने अपनी आवश्यक योग्यता नियमित माध्यम से पूर्ण की है।

महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ:

- संस्थान की आवश्यकताओं के आधार पर प्रशिक्षुता की संख्या अलग-अलग हो सकती है।

- विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित फोटो-कॉपी के साथ 15th सितंबर 2026 तक या उससे पहले डाक द्वारा केंद्र प्रमुख, रक्षा जैव रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान (डीआईबीटी), डीआरडीओ, सिद्धार्थनगर, मैसूर- 570011, कृपया ध्यान दें: एचआरडी, (हार्ड कॉपी में) पर पहुँच जाना चाहिए

नियम और शर्तें:

1. सभी पत्राचार, ऑफर लेटर (यदि चयनित हो) सहित, केवल ई-मेल के माध्यम से किए जाएंगे।
2. किसी भी पूछताछ के लिए उम्मीदवार दूरभाष सं. 0821-2579321 पर संपर्क कर सकते हैं।
3. प्रशिक्षण की अवधि 12 महीने की होगी, जो प्रशिक्षुता के अनुबंध के लागू होने की तारीख से शुरू होगी।
4. चयनित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करते समय "पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र" जमा करना होगा।

5. अनुबंध तैयार करने से पहले चयनित उम्मीदवारों के प्रमाण-पत्रों की जांच की जाएगी। यदि वांछित योग्यता के संबंध में कोई विसंगति या कमी पाई जाती है, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी।
6. चयनित उम्मीदवारों को शिक्षुता अधिनियम, 1961 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार 12 महीने की अवधि के प्रशिक्षण के लिए एक अनुबंध निष्पादित करना होगा।
7. आवेदन करने से पहले, उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह पात्रता मानदंडों और विज्ञापन में उल्लिखित अन्य मानदंडों को पूरा करता है।
8. रक्षा जैवरक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान, मैसूर, जहां प्रशिक्षण दिया जाता है, की ओर से किसी भी प्रशिक्षु को उसकी प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि पूरी होने के बाद कोई भी रोजगार प्रदान करना अनिवार्य नहीं होगा।
9. तथ्यों के दमन से चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में अयोग्य ठहराया जा सकता है।
10. डी.आई.बी.टी. के पास शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए सीटों की संख्या बढ़ाने/घटाने का अधिकार सुरक्षित है।
11. किसी भी उम्मीदवार द्वारा या उसकी ओर से प्रशिक्षु के चयन की प्रक्रिया को प्रभावित करने के इरादे से कोई भी प्रचार या व्यक्तिगत अनुवर्ती कार्रवाई उसकी उम्मीदवारी को तत्काल रद्द कर देगी।
12. डीआईबीटी बिना कोई कारण बताए, यदि परिस्थितियां ऐसी हों तो विज्ञापन/चयन प्रक्रिया को वापस लेने/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
13. किसी भी विवाद की स्थिति में, कानूनी क्षेत्राधिकार माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली का होगा।

14. प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि के दौरान इस प्रतिष्ठान द्वारा कोई सरकारी आवास/छात्रावास/परिवहन प्रदान नहीं किया जाएगा।

प्रमुख (मानव संसाधन विकास)
कृते केंद्र प्रमुख
डीआईबीटी, मैसूर